मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

क्रमांक 605/822/वि-1/चार/79 भोपाल, दिनांक 5 मई, 79

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- जन्मतिथि परिवर्तन संबंधी मामलों पर वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने तथा जन्म दिनांक में अनावश्यक तब्दीली करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में ।

==========

महालेखाकार ने वित्त विभाग के ध्यान में कुछ ऐसे प्रकरण लाये हैं जिनमें शासकीय कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में सेवा निवृत्ति के समय जन्मतिथियों में काट-पीट /परिवर्तन कर सुधार किया है । फलस्वरूप इन कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निपटारे में टाले जाने योग्य विलंब हुआ एवं इन प्रकरणों में नियमितीकरण(Regularisation) करने की दृष्टि से अधिवार्षिकी आयु बढ़ाये जाने पर पुनर्नियुक्तिअवधि स्वीकार करने के कारण शासन को आर्थिक हानि भी हुई । इस संबंध में वित्त संहिता-1 के नियम 84/85 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि अंकित करने संबंधी निर्देश दिये गये हैं । सेवा पुस्तिका में प्रथम बार अंकित जन्मतिथी (केवल लिपिकीय त्रुटि को छोड़कर) अंतिम मानी जाती है एवं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है । प्रतीत होता है कि विभागों / कार्यालयों में इन निर्देशों का सही रूप से पालन नहीं हो रहा है तथा सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि बदलकर प्रकरण को नियमित करने के प्रस्ताव वित्त विभाग में भेजे जाते हैं । यह कार्यवाही नियमों के तो विरुद्ध है तथा इस अनियमितता से कुछ प्रकरणों में अवांछनीय एवं अनुचित लाभ मिलता है तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण में भी विलंब होता है । पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु ऐसे प्रकरणों को नियमित करना आवश्यक हो जाता है

2/ इस संबंध में समस्त विभागों का ध्यान पुनः वित्त संहिता भाग-1 के नियम 84 एवं 85 की ओर आकर्षित करते हुये सूचित किया जाता है कि सेवा पुस्तिका में प्रथमवार जन्मतिथि अंकित करने तथा बाद में परिवर्तन न करने संबंधी सतर्कता को समस्त संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों के ध्यान में लाया जावे एवं स्पष्ट किया जावे कि उक्त नियमों के विपरीत कार्यवाही देखी जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी । साथ ही यह भी अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ कार्यालयों में जन्मतिथि

—2—

में अनाधिकृत परिवर्तन संबंधी यदि कोई प्रकरण हो तो उनकी यथाशीघ्र छानबीन की जाकर उनके संबंध में आदेश प्राप्त कर उनको निर्णित कराया जावे ताकि बाद में पेंशन प्रकरण के निराकरण में इस कारण विलंब न हो ।

(हीरालाल सोनी)
अवर सचिव

क्रमांक606/822/नि-1/चार/79 भोपाल, दिनांक4मई, 79

प्रतिलिपि :-

सचिव/ सैनिक सचिव, राज्यपाल महोदय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर ।
नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल ।
सतर्कता आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल ।

अवर सचिव(स्थापना) मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
अवर सचिव(अधीक्षण) मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल ।
समस्त वित्त अधिकारी/ लेखाधिकारी/ कोषालय अधिकारी/
मध्यप्रदेश को सूचनार्थ अग्रेषित ।

2- प्रतिलिपि महालेखाकार , मध्यप्रदेश ग्वालियर । भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
3- प्रतिलिपि सचिव, विधानसभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4- रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

(हीरालाल सोनी)
अवर सचिव

=======

9-5-79